

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 256]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 सितम्बर 2025—भाद्र 21, शक 1947

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल —462 011

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2025

अधिसूचना

क्र.-एफ-70 NN-15-2025-पाँच-907.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक -एफ-65NN-02-2022-पाँच-1437, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2022 द्वारा सतना जिले के अंतर्गत नगर परिषद् नागौद के वार्ड क्रमांक-13 के पार्षद पद पर निर्वाचित अभ्यर्थी, **मो. सोहराब** का नाम “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” क्रमांक-411, दिनांक 26 जुलाई 2022 में अधिसूचित किया गया था।

2. उक्त निर्वाचन के विरुद्ध माननीय न्यायालय-प्रथम जिला न्यायाधीश, नागौद, जिला सतना में याचिका प्रकरण क्रमांक-01/2022 “**मो. नफीस बनाम मो. सोहराब एवं अन्य एवं 04/2022 श्यामलाल साहू बनाम मो. सोहराब** में पारित आदेश दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा नगर परिषद् नागौद, जिला सतना के वार्ड क्रमांक-13 के पार्षद पद पर निर्वाचित अभ्यर्थी क्रमांक-01 **मो. सोहराब** का निर्वाचन शून्य घोषित किया गया है एवं पार्षद पद के लिए दूसरे नम्बर पर सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले **मो. नफीस** को वार्ड क्रमांक-13, नगर परिषद् नागौद, जिला सतना में पार्षद पद हेतु निर्वाचित घोषित किया गया है।

3. माननीय न्यायालय-प्रथम जिला न्यायाधीश, नागौद, जिला सतना के आदेश दिनांक 22 अगस्त 2025 के पालन में, वार्ड क्रमांक-13, नगर परिषद् नागौद, जिला सतना के पार्षद, **मो. सोहराब** के स्थान पर मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अंतर्गत **मो. नफीस** को नगर परिषद्, नागौद, जिला सतना के वार्ड क्रमांक-13 के पार्षद के रूप में एतद्वारा निर्वाचित घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(**प्रदीप कुमार शुक्ला**)

विधिक सलाहकार,

511

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.